न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 96 / 2025(GCMS 2025/407)

(RTI No. 212634838323123)

मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
मोबाईल नम्बर : 94619–41862

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2025 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. रायसिंहनगर के वार्ड सं. 30 में न्यायिक भवन बनाने के लिए कन्नक निर्माण कम्पनी के ''जे'' शिड्यूल मय पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।
2. न्यायिक भवन के लिए बेसमेन्ट (अण्डरग्राउण्ड) व जी+3 मंजिल निर्माण की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जावे।
3. निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सड़क आमजन के लिए बन्द करके सडक पर निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सड़क के भाग पर निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज चाहा है।
4. जिस जगह पर वर्तमान में न्यायिक भवन कनक कम्पनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, वह जगह पूर्व में जिस विभाग को आवंटन थी, उस विभाग की आवंटन प्रति चाही गई।
5. राजस्व विभाग की जगह पर न्यायिक भवन निर्माण करने के लिए भू–परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।
6. उप जिला कलक्टर, र[illegible] 30 अगस्त 2025 तक मूवमेन्ट पंजिका रजिस्टर पंजिका के पेजों की प्रमाणित दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:59 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 82 / 2025
(GCMS No. 2025/361)

लोक **सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड** अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक राजस्व. / 2025 / 558 दिनांक 17.11.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक राजस्व / 2025 / 424 दिनांक 19.09.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

क्र.सं.	विषय	सूचना
1	रायसिंहनगर के वार्ड सं. 30 में न्यायिक भवन बनाने के लिए कन्नक निर्माण कम्पनी के "जे" शिड्यूल मय पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2	न्यायिक भवन के लिए बेसमेन्ट (अण्डरग्राउण्ड) व जी+3 मंजिल निर्माण की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जावे।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3	निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सड़क आमजन के लिए बन्द करके सडक पर निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सड़क के भाग पर निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज चाहा है।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4	जिस जगह पर वर्तमान में न्यायिक भवन कनक कम्पनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, वह जगह पूर्व में जिस विभाग को आवंटन थी, उस विभाग की आवंटन प्रति चाही गई।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
5	राजस्व विभाग की जगह पर न्यायिक भवन निर्माण करने के लिए भू–परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।	सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से संबंधित है।
6	उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर के जनवरी 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मूवमेन्ट पंजिका रजिस्टर पंजिका के पेजों की प्रमाणित दी जावे।	व्यक्तिगत सूचना देय नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लो[illegible] सू[illegible] अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना** [illegible] **में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के [illegible] में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:59 IST
Reason: SelfAttested

Mo 17
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 82/2025
(GCMS No. 2025/361)

	से **यह** अपेक्षित है कि **वह** आवेदक को सामग्री उसी **रूप** में **प्रदान** करे जिस **रूप** में **लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में** कोई **सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (डॉ. मन्जू) जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:59 IST
Reason: SelfAttested